न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 109/2022

1. भवानीशंकर पुत्र श्री ताराचन्द जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 05 खाजूवाला तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

......प्रार्थी

बनाम

1. आरती पुत्री किरणदेवी जाति ब्राह्मण सा. बीकासर तह. नोखा।
2. नानीदेवी पत्नि पुनमचन्द जाति ब्राह्मण सा. बीकासर हाल खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. मोहित पुत्र किरणदेवी जाति ब्राह्मण सा. बीकासर तह. नोखा जिला बीकानेर।
4. राधेश्याम पति किरण देवी जाति ब्राह्मण सा. बीकासर तह. नोखा जिला बीकानेर।
5. विष्णु पुत्र किरण देवी जाति ब्राह्मण सा. बीकासर तह. नोखा जिला बीकानेर।
6. पुरखाराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी तलवाडा झील तह. टिब्बी हाल खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता श्री विजयकुमार, सलीमखान प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री कैलाश टाक अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की ओर से।
3. राजपैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि चक 8 केजेडी ए का मु.नं. 82/39 का किला नम्बर 23 कुल 0.2529 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी साधिकार काबिज काश्त है।

चक 8 केजेडी ए का मु.नं. 82/39 का किला नम्बर 17, 18, 22, 24/1 की कुल 0.8852 हैक्टेर कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की व चक 8 केजेडी ए का मु.नं.

82/40 के किला नं. 1 ता 16 की कुल 4.0464 हैक्टेर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 06 की खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 8 केजेडी ए का मु.नं. 82/39 का किला नम्बर 23 कुल 0.2529 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है, में आने–जाने के लिए प्रार्थी खाजूवाला से दन्तौर पक्की सड़क मु0नं0 82/32 के किला नं0 5 की सींव से चिपते मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की उत्तर दिशा की 20 फिट भूमि से होकर मु.नं. 82/39 का कि. नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 02 बिस्वा भूमि में से होकर, जो कि प्रार्थी की भूमि से चिपता हुआ है, अपनी भूमि में प्रार्थी प्रवेश कर रहा है तथा आने–जाने के लिए उक्त रास्ता चालू है और इसके अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को कई मरतबा जाकर समझाया कि रास्ता चालू है महज रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जाना शेष है इसलिये आप चालू दो बिस्वा रास्ता का रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लेवें लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा ऐसा करने से दिनांक 05.07.2022 को कतई इन्कार कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की उक्त इन्कारी से ही प्रार्थी को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतूक प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 से भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर उक्त रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा माननीय से आदेश लाने का कहे जाने पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 7 के खिलाफ भी वाद हेतूक प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को राजीनामा से रास्ता का इन्द्राज करवाने का कहे जाने पर अप्रार्थीगण राजीनामा से ऐसा करवाने से इन्कार है। प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर चक 8 केजेडी ए तह. खाजूवाला जिला बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की उत्तर दिशा की 20 फिट कृषि भूमि व मु.नं. 82/39 का कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 02 बिस्वा में रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को रजि0ए0डी0 नोटिस तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र उनके विधिक मुख्त्यारआम पूनमचन्द ने मय अधि. श्री कैलाश टाक दिनांक 29.07.2022 को उपस्थित होकर पेश किया तथा दिनांक 29.07.2022 को अप्रार्थी सं0 6 जरिये अधिवक्ता श्री कैलाश टाक जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 1 ता 5 का जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की ओर से जरिये मुख्त्यारेआम पूनमचन्द आयु 63 वर्ष पुत्र बद्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज0 द्वारा प्रस्तुत है जो

इसप्रकार से है कि हमारी आपसी लोकअदालत की भावना से हुई सहमति के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की चक 8 केजेडी ए के मु.नं. 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा में रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि (चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 की किला नं0 23) में जाने के लिए देने के लिए सहमत है और इस रास्ता देने के बदले हमने प्रतिफल भी राजीनामा में प्राप्त कर लिया है इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तो हमको कोई आपत्ति, उज्र, एतराज नहीं है प्रार्थी भी लोकअदालत की भावना से सहमत हुआ है कि उसकी कृषि भूमि चक 8 केजेडी ए के किला नं0 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा में रास्ता कटान कर दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अतः इसप्रकार चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 82/39 के किला नं0 22, 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2–2 बिस्वा में रास्ता कटान कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावे तो उससे हमें कोई आपत्ति, उज्र, एतराज नहीं है।

अप्रार्थी सं0 6 का जवाब प्रार्थनापत्र इसप्रकार से है कि हमारी आपसी लोकअदालत की भावना से हुई सहमति के आधार पर अप्रार्थी सं0 6 की चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि. नं. 02 की की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि (चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 की किला नं0 23) में जाने के लिए देने के लिए सहमत है और इस रास्ता देने के बदले हमने प्रतिफल भी राजीनामा में प्राप्त कर लिया है इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तो हमको कोई आपत्ति, उज्र, एतराज नहीं है प्रार्थी भी लोकअदालत की भावना से सहमत हुआ है कि उसकी कृषि भूमि चक 8 केजेडी ए के किला नं0 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा में रास्ता कटान कर दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अतः इसप्रकार चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 82/39 के किला नं0 22, 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2–2 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए रिकॉर्ड में रास्ता कटान कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावे तो उससे हमें कोई आपत्ति, उज्र, एतराज नहीं है एवं उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट क्रमांक/सदा/कोर्ट/2022/ .....दिनांक....... प्राप्त हुई जिसके अनुसार भवानीशंकर के नाम चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 के किला नं0 23 में 0.2529 हैक्टर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार दर्ज है तथा मु0नं0 82/39 किला नं0 22 खातेदार आरती, नानीदेवी, मोहित, राधेश्याम, विष्णु के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व मु0नं0 82/40 के किला नं0 1, 2 खातेदार पुरखाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मौके पर चक 8 केजेडी 'ए' के मु0नं0 82/32 के

किला नं0 5 में 2 बिस्वा रास्ता कटानी व मौके पर चालू है तथा चक 8 केजेडी 'ए' के मु.नं. 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा रास्ता , इसी चक के मु0नं0 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा रास्ता ,मु0नं0 82/40 कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट रास्ता मौके पर चालू है तथा किला नं0 23 में जाने के काम आता है।

प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजयकुमार जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया जो इसप्रकार से है कि हमारी आपसी लोकअदालत की भावना से हुई सहमति के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की चक 8 केजेडी ए के मु.नं. 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा में रास्ता मुझ प्रार्थी को अपनी भूमि (चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 की किला नं0 23) में जाने के लिए देने के लिए सहमत है तथा अप्रार्थी सं0 6 की चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दि ा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता मुझ प्रार्थी को अपनी भूमि (चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/39 की किला नं0 23) में जाने के लिए देने के लिए सहमत है जिनका प्रतिफल उन्होनें प्राप्त कर लिया है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 द्वारा मुझ मिकर के किला नं0 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा रास्ता चाहा है। मैं भी उक्त रास्ता 2 बिस्वा देने को सहमत हूँ। जिसका प्रतिफल भी राजीनामा में प्राप्त कर लिया है इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमानजी मुझ मिकर के प्रार्थनापत्र में वांछित व उपयोग में लिया जा रहा मौके पर चालू रास्ता उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी नहीं होने के कारण सरकारी योजना से रोड़/खड़वंजा/ पक्का मार्ग नहीं बन पा रहा है जिसकी वहज से मुझे मेरी ढ़ाणी में जाने के लिए व ढ़ाणी में निर्मित जलकुण्ड में स्वंय व पशुओं के पीने के लिये पानी का टैंकर डलवाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रकरण में शीघ्र निस्तारण कराने की कृपा करवाकर चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 82/39 के किला नं0 22, 23 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2–2 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए रिकॉर्ड में रास्ता कटान कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र [illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थीगण अधिवक्ता के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को अपनी जोत में जाने के लिए मु0नं0 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा , मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बे–16.5 फीट चौड़े में रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से सहमति भी हो चुकी है। अप्रार्थीगण 1 ता 6 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर अपनी खातेदारी मु0नं0 82/39 के कि.नं. 22 के दक्षिण दिशा के कॉर्नर से 2 बिस्वा , मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर दिशा के कोर्नर से 02 बिस्वा व कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर दिशा की 20 फिट लम्बा–16.5 फीट चौड़ा रास्ता देने की सहमति दी है और अपने–अपने जवाब प्रार्थनापत्र के पैरा सं0 7 में साफ जाहिर किया कि हमने प्रतिफल राजीनामे में प्राप्त कर लिया है व उक्त रास्ता कटान किया जावे तो कोई आपत्ति , उज्र, एतजार नहीं है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में भी कथन किया है कि रास्ता हम लोकअदालत की भावना से सहमति से दे रहे है जिसका प्रतिफल हमनें प्राप्त कर लिया है और इसको लेकर कोई दावा क्लेम भविष्य में नहीं करेंगे। प्रार्थी अधिवक्ता ने भी बहस में कथन किया है कि किला नं0 23 के दक्षिण कॉर्नर में 2 बिस्वा रास्ता कटान हेतु सहमति दी है और प्रतिफल राजीनामा में प्राप्त कर लिया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है तथा पक्षकारों में भी न्याय की मंशा है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष, अप्रार्थीगण संव 1 ता 6 के जवाब , प्रार्थी के जवाब उल जवाब प्रा0पत्र व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 82/39 के किला नं0 22, 23 के दक्षिण सीमा के साथ–साथ 2–2 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 82/40 के कि.न. 01 के उत्तर सीमा के साथ साथ 02 बिस्वा व मु0नं0 82/40 कि.नं. 02 की भूमि में उत्तर सीमा के साथ–साथ 20 फिट लम्बा (पश्चिम से पूर्व की ओर)–16.5 फीट चौड़ा रास्ता पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested